संत कृपाल सिंह
विधि महाविद्यालय

छात्र आचार संहिता

प्रस्तावना– किसी भी शैक्षिणिक संस्थान की प्रतिष्ठा उसके छात्रों के उत्तम प्रदर्शन पर निर्भर करती है। महाविद्यालय के छात्रों को न केवल पढ़ाई में उनके बेहतर प्रदर्शन से, बल्कि उनके आचरण से भी जाना जाता है जो उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। अतः संत कृपाल सिंह विधि महाविद्यालय के छात्रों से निम्न आचार संहिता का पालन अपेक्षित है–

1. समस्त छात्र/छात्राओं से महाविद्यालय परिसर में अनुशासन के उच्चतम स्तर को बनाये रखनें की अपेक्षा है।
2. महाविद्यालय में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्र/छात्राएं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, उ0प्र0 उच्चशिक्षा नियमावली एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) के मापदण्डों के अधीन ही प्रवेशित एवं अध्ययनरत रहेंगे।
3. समस्त छात्र/छात्राओं को एडमीशन के उपरान्त कार्यालय से अपना महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। किसी भी दशा में बिना पहचान पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है।
4. यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा अपने तथा अन्य किसी छात्र/छात्रा के पहचान पत्र का दुरूपयोग किया जाता है तो समस्त प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही हेतु छात्र/छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्रों को परीक्षा फार्म भरने हेतु BCI के मानकानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति कम होनें पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है।
6. समस्त छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले गेस्ट लेक्चर, कार्यशाला, सेमिनार, जगरूकता अभियान तथा अन्य कार्यक्रमों में उपस्थिति अनिवार्य है।
7. अगर कोई छात्र/छात्रा अस्वस्थ्य है तो उसे अनुपस्थिति हेतु रजिस्र्टड चिकित्सक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
8. महाविद्यालय में संचालित कक्षाओं तथा आयोजित कार्यक्रमों के दौरान परिसर में किसी भी प्रकार का शोर–शराबा एवं उत्पात करना पूर्णतः वर्जित है।
9. महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर महाविद्यालय की वेबसाईट एवं सूचना पटल पर समस्त प्रकार की शैक्षणिक/प्रशासनिक सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। समस्त छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से इन सूचनाओं का स्वयं संज्ञान लेना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में छात्र/छात्रा स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. महाविद्यालय परिसर में गंदगी फैलाना, गुटखा खाना एवं थूकना, माद्यपान, धूम्रपान, एवं किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित है।
11. महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुचानें पर जुर्माना वसूला जाएगा एवं शासन स्तर पर कार्यवाही भी की जा सकती है।
12. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन को शांत मुद्रा में रखना अनिवार्य है।
13. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं यदि रैगिंग के दोषी पाये जाते है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक/अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।
14. पूर्व में रैगिंग के दोषी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा प्रवेश (Admission) नही दिया जाएगा।
15. महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा किसी भी प्रकार की महाविद्यालयीन समिति एवं संघ का गठन पूर्णतः वर्जित है तथा किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः निषेध है।
16. छात्र/छात्राओं द्वारा बिना अनुमति के महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की बैठक का आयोजन तथा सम्मलित होना, सूचनाएं बाटना, पैसे इकट्ठे करना एवं झण्डा, बैनर, पोस्टर आदि चिपकाना एवं प्रदर्शित करना निषेध है।
17. छात्र/छात्राओं द्वारा किसी भी प्रकार की अनैतिक, असामाजिक, साम्प्रदायिक, राष्ट्रविरोधी गतिविधियां पूर्णतः वर्जित है तथा दोषी पाए जानें पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

18. अपने वाहन से महाविद्यालय आने वाले छात्र/छात्राओं को वाहन पार्किंग में खड़ा करना अनिवार्य है, साथ ही हेलमेट पहनना/सीटबेल्ट लगाना तथा ड्राइविंग लाइसेन्स सहित वाहन सम्बन्धित समस्त वैध प्रपत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
19. महाविद्यालय में प्रवेश के उपरान्त महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करनें या हड़ताल या किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करनें पर महाविद्यालय से तुरंत निष्कासित किया जाएगा।
20. महाविद्यालय में प्रवेश की स्थिति में छात्र को आपराधिक/सिविल दाण्डिक प्रकरण से विमुक्ति/उन्मुक्ति/सम्बंधता/नियमित उपस्थिति आदि विषयक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
21. विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा हेतु बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, किसी अन्य विश्वविद्यालय तथा किसी भी अन्य शिक्षण संस्थान में संचालित नियमित (रेगुलर) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना पूर्णता वर्जित है। यदि कोई छात्र/छात्रा विधि महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय पूर्व से ही किसी अन्य नियमित पाठ्यक्रम में पंजीकृत/प्रवेषित है या विधि महाविद्यालय में प्रवेश उपरांत अन्य किसी नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश/पंजीकरण कराता है तो उसके संबंधित कोर्स की डिग्री की विधि मान्यता नहीं होगी तथा उसका प्रवेश स्वमेव निरस्त समझा जाएगा।
22. समस्त प्रवेशित/अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथि के अन्दर अपना शिक्षण शुल्क महाविद्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में विलम्ब शुल्क रू 1000/– शिक्षण शुल्क के साथ देय होगा। अधिक विलम्ब करनें पर उस छात्र/छात्रा का प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।
23. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत जमा शिक्षण शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा।
24. संबंधित कोर्स के प्रत्येक सेमेस्टर के विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म को भरने, जमा करने तथा उसका शुल्क अदा करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
25. संबंधित कोर्स के दौरान यदि विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारतीय विधिज्ञ परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य किसी सरकारी संस्था द्वारा छात्र संबंधित कोई शुल्क मांगा जाता है तो वह स्वयं छात्र द्वारा देय होगा।
26. छात्र/छात्रा द्वारा प्रवेश के समय प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों की सत्यता हेतु छात्र/छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगा।
27. प्रवेश फार्म में दी गयी जानकारी के बदलाव की स्थिति में छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है।
28. महाविद्यालय में प्रवेश/निलंबन हेतु अंतिम निर्णय महाविद्यालय प्रबंधन का ही होगा।
29. महाविद्यालय प्रबंधन महाविद्यालय संचालन हेतु व्यापक छात्रहित में उपरोक्त नियमों में बदलाव/संशोधन करनें हेतु स्वतन्त्र है तथा जो भी विषय उपरोक्त आचार संहिता में वर्णित नही है, वह पूर्णतः महाविद्यालय प्रबंधन के विवेकानुसार निर्णय पर निर्भर है।

शपथ पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....आयु.....

निवासी.....का/की हूँ और शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त लिखित छात्र आचार संहिता को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा एवं समझा है अतः इसके उलंघन का दोषी पाये जाने पर महाविद्यालय से मेरा प्रवेश स्वमेव निरस्त समझा जाय और इस हेतु कोई अन्य उपचार प्राप्त करनें का मैं अधिकारी नहीं रहूँगा/रहूँगी।

मैं आज दिनांक.....को स्थान लामा, बाँदा में हस्ताक्षरित करता/करती हूँ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर